प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर 1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग--2 देहरादून, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 में 109(एक सौ नौ) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं से संबंधित आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 109 कार्यों के रूपये 14452.19 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 12038.35 लाख (एक सौ उन्तीस करोड़ अड़तीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम--06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 10.90 लाख (रू0 दस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005--06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मात्रा है, स्वीकृत मात्रा से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी, और प्रश्नगत योजना हेतु भूमि का कब्जा होने के बाद ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में धनराशि शासन को 31.03.06 तक समर्पित कर दी जायेगी।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी र स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्मा विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चि करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा निरीक्षण के पश्चात पुनः आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दू मद में व्यय कदापि न किया जाय।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता तृतीय
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

पुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल
देहरादून—248 001

दिनांक 8-11-05

पत्रांक 4061 / 20 या०नी० - 05

प्रतिलिपि निम्न को स्वीकृत कार्यों की सूची सहित सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल एवं कुमाऊँ क्षेत्र पौड़ी / नैनीताल।

2- अधीक्षण अभियन्ता 13/24/27/36/38/43 वृत्त लो०नि०वि०, ---

3- वित्त एवं लेखा तथा मुख्य अभियन्ता स्तर लो०नि०वि० देहरादून।

4- गार्ड पत्रावली।

संलग्न :- स्वीकृत कार्यों की सूची।

29/10/05

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल
देहरादून—248 001

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता कुमाऊँ क्षेत्र
लो० नि० विभाग, नैनीताल।

दि० 10/11/05

पत्रांक 4932/535 यातायात/05

प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियन्ता, 12/22/43/53 वृत्त चम्पावत / पिथौरागढ़ / नैनीताल / अल्मोड़ा / हल्द्वानी को एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संलग्न स्वीकृत कार्यों की सूची / मूल यातायात की प्रतिलिपि।

संलग्न :- स्वीकृत कार्यों की सूची

मुख्य अभियन्ता
लो० नि० विभाग

(कृ० मो०)

अधीक्षण अभियन्ता,
43वां वृत्त, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

10/11/05

पत्रांक 1441/17 दि० 15/11/05

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, रानीखेत / नैनीताल को लो० नि० वि० ... आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न - सूची

छायाप्रति सत्यापित

अधीक्षण अभियन्ता
43वां वृत्त, लो० नि०
अल्मोड़ा

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

सहायक अभियन्ता तृतीय
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

...का निर्माण					
...अल्मोड़ा में शीतलाखेत काकड़ीघाट मोटर मार्ग का निर्माण।	0.00	1585.6?	111.20	0.10	
...अल्मोड़ा में सूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग का ...करण।	2.05	30.03	30.00	0.10	
...अल्मोड़ा में पत्थरखोला से महरगाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण	12.00	233.04	166.80	0.10	
...अल्मोड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से ग्वाल... तक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार।	1.25	26.25	26.25	0.10	
...उत्तरकाशी में हनुमान चट्टी–जानकी चट्टी मोटर मार्ग के किमी० 7 से 10 तक डामरीकरण का...	4.00	42.80	42.80	0.10	
...अल्मोड़ा में महरौली चित्तौड़खाल मोटर मार्ग ...निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	0.060	187.41	134.14	0.10	
...अल्मोड़ा में सूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग का ... 10.90 से 33.90 तक विस्तार (लम्बाई 16 किमी.) व किमी. 0.00 से किमी. 12.00 तक (लम्बाई 3.00 किमी.) हल्का वाहन को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने का प्रारम्भिक आगणन।	16.00+3.00	313.80	224.70	0.10	
...अल्मोड़ा में सोमेश्वर विधान सभा क्षेत्र के ... कुंआली –मिटरकोट मोटर मार्ग नव निर्माण (प्रा. आगणन)।	10.00	139.00	139.00	0.10	
...अल्मोड़ा में जागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के ... पेटशाल–पानरखाल मोटर मार्ग के मध्य में ... आर.सी.सी. कलवर्ट एवं ... नदी पर मोटर पुल का निर्माण कार्य	10 मी.से.+12 पुलिया	26.00	26.00	0.10	
...अल्मोड़ा में ... चनौली ... मोटर मार्ग निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	20.00	396.80	278.00	0.10	
...अल्मोड़ा में गोलूछीना मल्ली ... मोटर मार्ग का निर्माण।	7.00+10 मी आर.सी.सी. पुल	147.55	106.00	0.10	
...अल्मोड़ा में कोरी छीनाघाट कोरीछीना मोटर मार्ग का ... ग्राम ... से पत्थरकोट मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00+10मी.आर.सी.सी. पुल	72.45	54.60	0.10	
...अल्मोड़ा में पुष्पाकिलानी से परागोली तक ... मार्ग के नव निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	10.00	194.20	139.00	0.10	
...बारौट पट्टी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण ... सुधार (पुल सहित) का प्रारम्भिक आगणन।	13.00	272.75	270.00	0.10	
...अल्मोड़ा में तहसील सल्ट, विधान सभा क्षेत्र, ... में स्वतन्त्रता सेनानियों के ग्राम ... को ... मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग बनाने का ...	6.00	83.40	83.40	0.10	
...अल्मोड़ा में तहसील सल्ट में ग्राम सभा ... को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग नव निर्माण (प्रा. आगणन)।	0.00	112.20	112.20	0.10	
...अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के ... धौला देवी –खेती मोटर मार्ग नव निर्माण एवं सुधार।	5.600	82.00	42.00	0.10	

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता तृतीय
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

2530431

BD-COR ... HO DOH.

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय, तथा ...

जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय। ... अन्य वित्तीय बजट

10. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य वित्तीय ... की जा रही धनराशि

कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि

आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। ... स्वीकृत ... आवश्यकतानुसार ... साथ–साथ विर

... प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ ... धनराशि का दिनांक–

आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि ... नियमों का भी अनुपा

31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक ...

किया जाय। ... स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर

12. आगामी किस्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि ... प्रस्तुत कर दिया जाय। ... धनराशि ...

... वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र ... लोक निर्माण विभा

14. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग ... जिला तथा अन्य सड़

अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़ ... निर्माण कार्य के नामे

आयोजनागत–800–अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर · 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहद निर्माण कार्य ... संख्या यू.ओ. 04/XX

जायेगा।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या ... से जारी किये जा रहे हैं।

(2)/2005 दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– 109 कार्यों की सूची।

अनु सचिव।

संख्या–2417(1)/III–2/05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
3– अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5 – समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6– मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊं क्षेत्र लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
7 ...
10 गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

4932
9–11–05

9 NOV 2005
... निर्माण विभाग

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता तृतीय
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत